विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-04/17

श्री मागीलाल हेमराज तिवारी — आवेदक
द्वारा– श्रीमती अंजुबाला सोलंकी,
22–ए, वेदव्यास कॉलोनी,
रतलाम (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
रतलाम (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 25.05.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0349416 श्री मागीलाल हेमराज तिवारी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. रतलाम में पारित आदेश दिनांक 24.11.2016 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–04/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर के निर्णय दिनांक 21.11.2016 के पश्चात बिलंब से प्रस्तुत अपील को टाईम लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के अंतर्गत ग्राह्य करने हेतु अनुरोध किया गया। आवेदक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के दृष्टिगत आवेदन को ग्राह्य किया जाना उचित होगा। अतः अपील आवेदन को मान्य करते हुए सुनवाई की तिथि दिनांक 4.5.2017 नियत की गई।

04 दिनांक 4.5.2017 को आवेदक की ओर से श्री रवि जैन, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अपील के संबंध में अवगत कराया कि –

अ आवेदक श्री मागीलाल हेमराज तिवारी के नाम पर घरेलू श्रेणी का विद्युत कनेक्शन स्थापित है। मई 2016 में विद्युत देयक अचानक 39,370/– रूपये का आने पर उनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में देयक के निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु

कोई कार्यवाही नहीं होने पर उनके द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र में दिनांक 28.7.2016 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

ब फोरम द्वारा दिनांक 24.11.2016 को अपने आदेश में परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर परिवादी को माह जनवरी 2015 से मई 2016 तक की अवधि में खपत को स्लेव दर का लाभ देते हुए विद्युत देयक संशोधित करने के निर्देश दिये।

स आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मई 2016 में एकदम 4910 यूनिट की खपत दर्ज होना संभव नहीं है। क्योंकि उनके घर का संयोजित भार 300 वाट है। अतः भार के अनुपात में खपत दर्ज होना मेल नहीं खाती।

द इनके द्वारा यह भी बताया गया कि जनवरी 2015 से मई 2016 तक उनके घर में स्थापित मीटर का निरीक्षण नहीं किया गया, यदि परीक्षण, निरीक्षण समय से किया जाता तो विद्युत खपत 4910 यूनिट एकत्रित नहीं होती। इस प्रकार अनावेदक द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा मीटर रीडिंग के संबंध में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया गया ।

च आवेदक द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा उन्हें एकत्रित यूनिट का बिल रूपये 39,370/– का दिया गया एवं उसका भुगतान नहीं करने पर उनके घर की बिजली मार्च 2016 में काट दी गई। आवेदक द्वारा अनुरोध करने पर तथा रूपये 5000/– जमा करने पर पुनः उनके घर की बिजली जोड़ी गई।

छ आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उपरोक्त मीटर परीक्षण में मीटर क्रमांक 2621723 अंकित है जबकि उनके घर में स्थापित मीटर में क्र. 439986 लिखा हुआ है जो कि बिल में दर्शाये गये मीटर रीडिंग डायरी से प्रमाणित होता है। मीटर के परीक्षण के समय मीटर की कार्यशीलता सही पाई जाना बताया है जो कि गलत है।

05 अनावेदक द्वारा अपनी लिखित वहस में अवगत कराया है कि आवेदक को मई 2016 में विद्युत देयक रूपये 39,370/– अधिक आने से आवेदक द्वारा अवगत कराया गया था तथा समस्या के निराकरण हेतु उपभोक्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मीटर का परीक्षण भी करवाया गया था। परीक्षण में मीटर की कार्यशीलता सही पाई गई। (ओई–1)

06 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि फोरम के आदेश के अनुसार आवेदक को जनवरी 2015 से मई 2016 तक की अवधि के विद्युत देयकों को संशोधित कर 5675/– रूपये की क्रेडिट आवेदक को दी जा चुकी है।

07 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि मई 2016 से फोटो मीटर रीडिंग प्रारंभ करने से मई 2016 में मीटर में 4910 यूनिट खपत होना दर्ज पाया जिसका कारण था कि उनके परिसर में स्थापित मीटर की नियमित मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही थी।

08 अनावेदक द्वारा अपनी लिखित वहस में अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर में वास्तव में मीटर क्रमांक 2621723 लगा हुआ था परन्तु मीटर डायरी में गलती से मीटर

क्र. 439986 दर्ज हो गया जिसकी इस बात से पुष्टी होती है कि जब उपरोक्त मीटर परीक्षण हेतु निकाला गया तब उस समय मीटर डिस्पोजल स्लिप में भी मीटर क्र. 2621723 दर्ज किया गया जिस पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर हैं।

09 उपरोक्तानुसार प्रकरण में निर्णय लेने से पूर्व मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.20 के अनुपालन में अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न जानकारी के साथ सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 18.05. 2017 को उपस्थित हों –

अ विद्युत स्थापना की दिनांक 26.10.1997 को मीटर किस प्रारंभिक रीडिंग पर लगाया गया।

ब विद्युत कनेक्शन देने की तिथि से मीटर परीक्षण हेतु निकाले जाने की तिथि तक की मीटर डायरी।

स जून 2016 से मीटर बदलने के पश्चात मासिक खपत कितनी रही उसका विवरण।

द आवेदक द्वारा बताया गया कि फोटो रीडिंग सितंबर 2015 से चालू हो गई थी जबकि अनावेदक द्वारा कहा गया कि वास्तविक फोटो रीडिंग मई 2016 से ली गई। अतः इस संबंध में स्पष्ट करें कि वास्तविकता क्या है तथा पिछले 10 माहों की मूल मीटर फोटो रीडिंग प्रस्तुत करें।

च आवेदक के परिसर में लगे दोनों विद्युत कनेक्शनों पर लगे मीटर की जनवरी 2015 से मई 2016 तक की अवधि की विद्युत खपत का विवरण।

10 अनावेदक द्वारा दिनांक 18.5.2017 को उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये।

11 उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सुनवाई के दौरान दिये गये तर्कों के आधार यह स्पष्ट है कि–

अ आवेदक के परिसर में जनवरी 2015 से अप्रैल 2016 तक मीटर रीडिंग नहीं ली गई। मई 2016 में मीटर रीडर द्वारा अपनी अच्छा से मीटर की खपत दर्ज की जाती रही, जिसके परिणामस्वरूप फोटो रीडिंग लेने पर एकत्रित रीडिंग 4910 पाई गई।

ब मीटर परीक्षण के समय मीटर की कार्यशीलता सही पाई गई।

स अनावेदक द्वारा उनके कार्यालय में उपलब्ध विद्युत खपत का विवरण सितंबर 2010 से दिसंबर 2014 तक का प्रस्तुत किया। इसके अवलोकन से पाया गया कि आवेदक द्वारा अधिकतम विद्युत खपत 238 यूनिट जून 2011 में दर्ज हुई एवं खपत का ट्रेंण्ड के अवलोकन करने से भी यह स्पष्ट है कि खपत प्रायः लगभग माह से माह की तुलना करने पर एक जैसी रही है। जनवरी 2015 से अप्रैल 2016 तक विद्युत खपत का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि मीटर रीडिंग वास्तव में मीटर की रीडिंग लेकर नहीं दर्ज की गई, इस कारण मई माह में जब फोटो मीटर रीडिंग लेनी शुरू हुई तब उक्त अवधि की एकत्रित यूनिट 4910 पाई गई जो कि 289 यूनिट औसत प्रतिमाह होती है।

11 आवेदक का विद्युत कनेक्शन दिनांक 26.10.1997 को स्थापित किया गया था तथा स्थापना के समय उनका संयोजित भार 920 वाट होना रिकार्ड के अनुसार पाया जाता है। (ओई–2)

12 दिनांक 6.5.2017 को आवेदक के परिसर का संयोजित भार चैक करने पर कुल भार 2.65 किलोवाट पाया गया। (ओई–5)

13 उपरोक्त संयोजित भार के आधार पर पूर्व में रिकार्ड की गई अधिकतम खपत 238 यूनिट (जून 2011) (ओई–3) एवं मई 2016 में पाई गई एकत्रित यूनिट अवधि (जनवरी 2015 से अप्रैल 2016) में 289 यूनिट प्रतिमाह आती है जो कि संयोजित भार की तुलना में उचित प्रतीत होती है।

14 दिनांक 18.5.2017 को सुनवाई के दौरान आवेदक को औसत मासिक बिल 289 यूनिट की दर से जनवरी 2015 से मई 2016 तक की अवधि के लिए विद्युत देयक बनाने एवं इस अवधि में आवेदक द्वारा वास्तविक दर्ज खपत के आधार पर बनाये गये विद्युत देयक का विवरण चाहा गया था। अनावेदक द्वारा उपरोक्त निर्देश के तहत जानकारी ई–मेल द्वारा प्रस्तुत की गई। (ओई–4) जिसके अनुसार जनवरी 2015 से मई 2016 तक की अवधि में औसत खपत 289 यूनिट प्रतिमाह हेतु कुल बिल रूपये 31,586/– बनता है जबकि अनावेदक द्वारा उन्हें 39,370/– रूपये का बिल दिया गया। आवेदक द्वारा इस अवधि में कुल 6280/– रूपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार आवेदक को रूपये 25,306/– का भुगतान और किया जाना शेष है।

15 उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्क के अनुसार यह सत्य है कि अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर में मीटर रीडिंग लेने में लापरवाही की है तथा उपरोक्त गलती पाये जाने पर भी उनके द्वारा अपने स्तर से बिल को संशोधित न करते हुए एकत्रित रीडिंग का बिल रू. 39,370/– आवेदक के नियमित बिल में हर माह जोड़ दिया गया तथा आवेदक के अनुरोध पर मासिक देयक का आंशिक भुगतान प्राप्त किया जाता रहा तथा जिसके कारण शेष राशि पर सरचार्ज की बिलिंग होती रही।

16 अनावेदक द्वारा उपभोक्त फोरम में परिवाद प्रस्तुत करने के पश्चात फोरम के आदेश के अनुसार ही एकत्रित यूनिट का बिल संशोधित कर स्लेब टैरिफ के अनुसार रूपये 5615/– की क्रेडिट आवेदक को दी गई। जबकि अनावेदक स्वयं अपने स्तर से उपरोक्त गलती संज्ञान में आने पर संशोधित बिल उपभोक्ता को दिया जाना था। अर्थात अपनी स्तर से स्लेव दर टैरिफ से बिल को संशोधित किया जाना था।

17 अतः उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मई 2016 में फोटो मीटर रीडिंग किये जाने पर मीटर में पाई गई खपत पिछले 17 माह में की गई खपत की एकत्रित खपत है। अनावेदक द्वारा परिसर की वास्तविक रीडिंग ना लेने की गलती संज्ञान में आने पर भी उपभोक्ता को स्लेव दर के हिसाब से संशोधित बिल न देकर कुल एकत्रित यूनिट का बिल रूपये 39,370/– आवेदक के नियमित मासिक बिल में जोड़ दिया गया एवं

आवेदक के अनुरोध करने पर आंशिक भुगतान प्राप्त किया जाता रहा जिसके कारण शेष राशि पर सरचार्ज हर माह बिल होता रहा जो कि उचित नहीं है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ आवेदक को जनवरी 2015 से मई 2016 तक की अवधि में 289 यूनिट प्रतिमाह की दर से संशोधित बिल जारी किया जाए।

ब आवेदक द्वारा जनवरी 2015 से मई 2016 तक की अवधि में जमा की गई विद्युत देयक की राशि को उपरोक्तानुसार संशोधित बिल में समायोजित की जाए।

स आवेदक द्वारा विवादित बिल के विरूद्ध मार्च–अप्रैल 2016 में जमा की गई राशि रूपये 5000/– का समायोजन भी संशोधित बिल में किया जाए।

द अनावेदक द्वारा मई 2016 से विवादित राशि रूपये 39370/– पर मई 2017 तक वसूल की गई सरचार्ज राशि को वापिस की जाकर आवेदक द्वारा इस मद में किये गये भुगतान का समायोजन भी संशोधित बिल में किया जाए।

च फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

18 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

19 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल